राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 131

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 19 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

शतकों की हैट्रिक पर होगी मयंक की नजरें

>> 14

सरोकार

उत्तर प्रदेश में अंत्योदय की खातिर 'ग्राम उदय'

अंबेडकर नगर : उप्र के फतेहपुर मानिकपुर गांव में भी दूसरे गांवों की तरह समस्याएं थीं, अब अंत्योदय के खातिर यहां 'ग्राम उदय' हो रहा है। अब इस गांव में देसी-विदेशी पुस्तकों से समृद्ध लाइब्रेरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित युवाओं की मदद के लिए अलग-अलग समितियां भी हैं। (पेज-10)

जागरण विशेष

नक्सलगढ़ के बच्चे गोलियां नहीं दनादन दागते हैं गोल

भिलाई : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र रावघाट और आसपास के 64 गांवों के बच्चों की खेल प्रतिभा को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) निखार रहा है। यहां के 40 से अधिक बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और खो-खो में राष्ट्रीय स्तर पर रहे हैं। (पेज-10)

हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या, आइएस पर शक

दुस्साहसिक वारदात ▶ लखनऊ में दो हत्यारों ने पहले जबड़े में गोली मारी, फिर शरीर पर चाकू से 13 वार भी किए

आवास में सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी में दिया गया घटना को अंजाम, पैदल ही भाग गए हत्यारे

जागरण संवाददाता, लखनऊ

हिंदू महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की शुक्रवार को उनके लखनऊ स्थित आवास में सनसनीखेज तरीके से दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। कमलेश अयोध्या मामले में एक पक्षकार भी थे। उनकी हत्या ऐसे समय की गई जब इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों में फैसला सुनाने वाला है। हत्यारों ने कमलेश के चेहरे पर गोली भी मारी है। साफ है कि हत्यारे यह तय करना चाहते थे कि किसी तरह कमलेश की जान न बचे। हत्यारे वारदात के बाद पैदल ही भाग निकले। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। हत्याकांड की जांच के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने एसआइटी का गठन किया है।

कमलेश तिवारी फाइल फोटो

सीसीटीवी फुटेज में कैद कमलेश तिवारी के संदिग्ध हत्यारे

कमलेश लंबे समय से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे और यह वारदात तब हुई जब उनके घर के बाहरी हिस्से में एक पुलिसकर्मी मौजूद था। बता दें, गुजरात एटीएस ने एक वर्ष पूर्व इस्लामिक स्टेट (आइएस) के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया था,जिसमें कमलेश की हत्या की साजिश रच जाने का जिक्र था। 13 अक्टूबर 2019 को कमलेश ने एक ट्वीट पीएम, गृहमंत्री को टैग किया था।

लखनऊ में भगवा कुर्ता पहने दो बदमाश मिठाई के डिब्बे में चाकू और पिस्टल छिपाकर कमलेश के आवास में सुबह करीब 11:47 बजे घुसे थे। दोनों करीब 36 मिनट तक घर में रहे। इस आधार पर पुलिस का मानना है कि हत्यारे कमलेश के संपर्क में थे। जब यह वारदात हुई, तब कमलेश घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में अकेले थे। बेटा ऋषि और पार्टी कार्यकर्ता सौराष्ट्र सिंह बाजार गए थे। पत्नी किरन चाय देकर दूसरे कमरे में चली गई थीं। कमलेश के घर की पहली मंजिल में सीसी कैमरा लगा हुआ था। हालांकि यह कैमरा काम नहीं कर रहा है।

16 अक्टूबर की रात खरीदी गई थी मिठाई : हत्यारे जिस मिठाई का डिब्बा लाए थे वह सूरत (गुजरात) में 16 अक्टूबर की रात 9:30 बजे खरीदी गई थी। डिब्बे में मिले बिल से इसका पता चला। 13 अक्टूबर को कमलेश ने ट्वीट कर अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाया था।

पत्नी से कहा था, कोई बधाई देने आ रहा है

कमलेश की पत्नी किरन ने बताया कि पति के मोबाइल फोन पर किसी ने कॉल कर अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई पूरी होने पर बधाई देने के लिए घर आने की बात कही थी। इसके बाद कमलेश ने उन्हें कमरा ठीक करने के लिए कहा था। कमलेश के मकान के निचले हिस्से में हिंदू समाज पार्टी का कार्यालय है।

कमलेश की हत्या के पीछे आतंकी संगठन की किसी साजिश को भी नकारा नहीं जा सकता। कमलेश की पत्नी किरन ने बिजनौर के मुफ्ती नईम काजमी व मौलाना अनवारुल हक के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज्ञात हो, इन दोनों ने एक समय कमलेश की जान लेने के लिए 1.61 करोड़ के इनाम का एलान किया था।

पैगंबर मुहम्मद पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी : कमलेश 2015 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कमलेश पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई थी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट : पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने कमलेश तिवारी के बाएं जबड़े पर गोली मारने के बाद गला रेत दिया। इसके बाद धारदार हथियार से गला रेत दिया और श्वास नली कटने से उनकी मौत हुई। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में 13 घाव चाकू के वार से हैं।

हत्या के पीछे इस्लामिक स्टेट के कनेक्शन से इन्कार नहीं पेज>>5

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हत्यारे कमलेश के परिचित लग रहे हैं। कॉल डिटेल से भी कई जानकारियां मिली हैं। 48 घंटे में घटना का राजफाश हो जायेगा।

-ओपी सिंह, डीजीपी

कमलेश हिंदू महासभा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। महासभा की तरफ से वह अयोध्या मामले को देख रहे थे। ऐसे में उनकी हत्या में राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के पहले देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश लग रही है। राज्य सरकार हत्या की जांच कराए और शामिल लोगों को पकड़े। साथ ही कमलेश के परिजनों की मदद करे।

-चक्रपाणि, अध्यक्ष, हिंदू महासभा

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जस्टिस बोबडे हो सकते हैं देश के अगले मुख्य न्यायाधीश

नई दिल्ली : सीजेआइ रंजन गोगोई अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए शरद अरविंद बोबडे के नाम की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा है कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने से पहले अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

राहुल बताएं उनके परिवार ने आदिवासियों के लिए क्या किया

गढ़चिरौली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर रोष प्रकट करते हुए उनके नेता राहुल गांधी से पूछा है कि पिछले 70 सालों में उनके परिवार की चार पीढ़ियों ने आदिवासियों के लिए क्या किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में यह क्षेत्र नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

भारत अभी भी सबसे तेज गति वाली इकोनॉमी : सीतारमण

वाशिंगटन : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आइएमएफ द्वारा विकास दर का अनुमान घटाने के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेज विकास करने वाली इकोनॉमी है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

पहली बार सिर्फ महिलाओं ने की अंतरिक्ष में चहलकदमी

वाशिंगटन : अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर (आइएसएस) के बाहर चहलकदमी कर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है, जब सिर्फ महिला अंतरिक्ष यात्रियों की टीम ने आइएसएस के बाहर चहलकदमी की है।

नई चुनौती

टेस्ट सीरीज	सुबह 9:30 बजे से
भारत vs द. अफ्रीका	स्थान : रांची
	प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कहा, अयोध्या मामले पर कोई समझौता मंजूर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले पांच वकीलों ने बयान जारी कर कहा है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कुछ हिंदू पक्षकारों के साथ कथित समझौता किए जाने की खबरों से वे अचंभित हैं। वे समझौता प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते।

जिन पांच वकीलों की ओर से मीडिया में बयान जारी किया गया है उनमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील शकील अहमद सईद भी शामिल हैं। हालांकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ही वकील सैयद शाहिद रिजवी ने गुरुवार को मीडिया के समक्ष दिए बयान में समझौते की बात स्वीकारी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दो अपीलें लंबित हैं। इनमें से एक में शकील अहमद एओआर (वकील) हैं और दूसरे में शाहिद रिजवी एओआर हैं।

सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है समझौता प्रस्ताव : मालूम हो कि 16 अक्टूबर को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई थी, मध्यस्थता कमेटी की ओर से कोर्ट को मध्यस्थता रिपोर्ट सौंपी गई थी। बताते हैं कि रिपोर्ट के साथ एक समझौता प्रस्ताव भी सौंपा गया है जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारुकी और चार हिंदू पक्षकारों के बीच समझौते की बात है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ शर्तों के साथ जमीन पर दावा छोड़ने के लिए तैयार है।

मीडिया में आते ही अन्य मुस्लिम पक्ष हुए सक्रिय : ऐसी खबरें मीडिया में आने के बाद से मामले को लेकर चारों ओर उथल-पुथल है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने वाले अन्य मुस्लिम पक्षों के वकीलों की ओर से शुक्रवार सुबह मीडिया में बयान जारी कर समझौते का प्रस्ताव स्वीकार करने से इन्कार किया गया। बयान जारी करने वाले वकीलों में एजाज मकबूल, शकील अहमद सईद, एमआर शमशाद, इरशाद अहमद और फुजैल अहमद अयूबी शामिल हैं।

मध्यस्थता कमेटी और निर्वाणी अखाड़ा पर लगाया आरोप पेज>>5

अयोध्या की पुकार

- इस पक्ष के पांच अपीलकर्ताओं के वकीलों ने जारी किया बयान
- सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के कुछ हिंदू पक्षकारों के साथ कथित समझौते की आई थी खबर

समझौते पर बात आगे बढ़ी तो फैसले में होगी देरी

नई दिल्ली : अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद लोगों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं, लेकिन बीच में मध्यस्थता से समझौते की चर्चा ने नया पेच उलझा दिया है। इस केस की सुनवाई करने वाली पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं इसलिए उसके पहले ही फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन कानूनविदों का कहना है कि अगर कोर्ट मध्यस्थता समिति की ओर से पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर संज्ञान लेगा तो 17 नवंबर की समयसीमा के भीतर फैसला आना मुश्किल होगा। (पेज-5)

चिदंबरम की उपस्थिति ही गवाहों को डराने और धमकाने के लिए काफी : सीबीआइ

- कहा, अहम गवाहों से पूछताछ तक पूर्व वित्तमंत्री को नहीं दी जाए जमानत
- आइएनएक्स मीडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शुक्रवार को कहा कि जेल से बाहर उनकी उपस्थिति ही गवाहों को डराने-धमकाने के लिए काफी है। जांच एजेंसी ने इस संबंध में एक अज्ञात गवाह का उल्लेख किया। सीबीआइ ने कहा, चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के इस मामले में जिस व्यक्ति की गवाही मुख्य आधार है, उसे गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस नेता की तरफ से डराया-धमकाया जा रहा था। वह व्यक्ति जानता था कि भ्रष्टाचार को किस तरह अंजाम दिया गया, यही कारण है कि चार्जशीट में उस गवाह की पहचान उजागर नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अब तक माना जा रहा था कि आइएनएक्स मीडिया की पूर्व प्रमोटर इंद्राणी मुखर्जी की गवाही ही चिदंबरम के खिलाफ इस केस में मूल आधार है। जस्टिस आर भानुमति, एएस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय की पीठ के समक्ष सीबीआइ की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, उस व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 164 (न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज) के तहत दर्ज बयान में कहा था कि गिरफ्तारी से पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा था। चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने चिदंबरम को जमानत देने से तो इन्कार कर दिया था, लेकिन कहा था कि पूर्व वित्तमंत्री देश छोड़कर नहीं भाग सकते और न ही वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

सीबीआइ ने कहा, विदेशी निवेश प्रवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी संबंधी आइएनएक्स मीडिया मामले में तो जांच लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभी कई कंपनियों को मिली मंजूरी की जांच चल रही है। मेहता ने चिदंबरम के देश छोड़कर भागने की आशंका भी जताई। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मेहता की दलील का विरोध किया। उन्होंने शीर्ष अदालत में चार्जशीट के तथ्यों का उल्लेख करने पर भी आपत्ति जताई। सीबीआइ ने चिदंबरम के खिलाफ 15 मई, 2015 को केस दर्ज किया था। इसी मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। चिदंबरम फिलहाल इसी मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

चिदंबरम का वजन पांच किलो घटा: चिदंबरम ने बीमारी और घटे वजन का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की। जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ से चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 43 दिनों तक जेल में रहने के दौरान पूर्व मंत्री का वजन पांच किलोग्राम घटकर 73.5 से 68.5 किलोग्राम रह गया है। दो बार वह पांच और सात दिनों तक बीमार रहे हैं और उन्हें एंटीबॉयटिक दवाईयां देनी पड़ी हैं। सिब्बल ने आशंका जताई कि मौसम में बदलाव के चलते उन्हें स्वास्थ्य संबंधी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

पी. चिदंबरम फाइल फोटो

एफडीआइ मंजूरी देने में चिदंबरम ने किया था अपने पद का दुरुपयोग : सीबीआइ पेज>>3

दक्षिण दिल्ली में रविदास मंदिर के लिए प्लाट देने को तैयार केंद्र

- सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने रखा प्रस्ताव
- शीर्ष अदालत ने दूसरे पक्षों से सोमवार तक मांगी आपत्तियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह रविदास मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं की समिति को दिल्ली में 200 वर्ग मीटर का प्लाट देने के लिए तैयार है।

जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल द्वारा पेश इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर रखा। साथ ही मंदिर निर्माण कराने के इच्छुक पक्षकारों से सोमवार तक आपत्तियां दर्ज कराने को कहा। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने श्रद्धालुओं और सरकारी अधिकारियों समेत सभी पक्षों से परामर्श किया है और केंद्र सरकार इस मसले की संवेदनशीलता और मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए उतना ही बड़ा प्लाट देने के लिए राजी है, जितने बड़े प्लाट पर मंदिर स्थित था। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर को हटाए जाने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सात में से पांच याचिकाकर्ता इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। कोर्ट ने चार अक्टूबर को मंदिर निर्माण की मांग कर रहे पक्षकारों से मंदिर के लिए किसी स्थान का सुझाव मांगा था।

ज्ञात हो, दिल्ली के तुगलकाबाद वन क्षेत्र में स्थित रविदास मंदिर को शीर्ष अदालत के आदेश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हटाया था। इसको लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह हर किसी की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन कानून का पालन होना चाहिए।

एनआरसी समन्वयक हजेला का मप्र तबादला

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को अधिकतम संभव समय के लिए उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों को जारी निर्देश में शीर्ष अदालत ने तबादला आदेश का कारण तो नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि हजेला के जीवन को खतरे की आशंका में यह आदेश आया है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस आरएफ नरीमन की विशेष पीठ ने हजेला को अंतर-कैडर तबादले के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश दिया है। केंद्र की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जब इसका कारण जानना चाहा तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, 'क्या कोई आदेश बिना वजह या कारण के पास किया जा सकता है।'

असम-मेघालय कैडर के 1995 बैच के आइएएस अधिकारी हजेला एनआरसी को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 31 अगस्त को एनआरसी का अंतिम प्रारूप जारी किया गया था, जिसमें तीन करोड़ 30 लाख की आबादी में से 19 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भारतीय नागरिक होने के संबंध में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराए थे। केंद्र के साथ ही असम की भाजपा सरकार ने भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में असली भारतीय नागरिकों को एनआरसी में जगह नहीं मिली है। जबकि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को इसमें शामिल कर लिया गया है।

प्रतीक हजेला फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की नहीं बताई वजह, खतरे की आशंका हो सकता है कारण

हजेला पर खतरे को लेकर रिपोर्ट नहीं मांगी गई : असम पुलिस

असम के पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) हिरेन नाथ ने पीटीआइ से कहा कि हजेला को खतरे को लेकर असम पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि असम पुलिस को हजेला के जीवन को खतरे को लेकर कोई जानकारी भी नहीं है। हिरेन नाथ ने कहा कि सोशल मीडिया पर हजेला की आलोचना जरूर हो रही है। असम में कई सारे संगठनों ने एनआरसी और उसके राज्य समन्वयक हजेला के खिलाफ बयानबाजी की है। हजेला के खिलाफ कई एफआइआर भी दर्ज की गई है। इस संबंध में हजेला की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने हजेला को एनआरसी समन्वयक नियुक्त किया था।

एफएटीएफ की काली सूची में जाने से बचा पाकिस्तान

नई दिल्ली : आतंकी संगठनों को धन मुहैया कराने के ढांचे को रोकने में पाकिस्तान मोटे तौर असफल रहा है इसके बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए सुझाए गए उपायों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए पाक को अब फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया गया है और तब तक के लिए उसे ग्रे सूची में ही रखा गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष शियांगमिन लिउ ने पेरिस में पिछले तीन दिनों की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'पाक सरकार को 27 मानकों पर कार्रवाई करने को कहा गया था लेकिन सिर्फ 5 मानकों पर संतोषप्रद कार्रवाई हुई है। अगर वह फरवरी, 2020 तक शेष मानकों पर ठोस कदम नहीं उठाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।' (पेज-13)

सरकार से सिफारिश

राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कहा- किसी घटना के बाद लाश का इस्तेमाल कर दबाव बनाना गलत, इस प्रकार के दुरुपयोग को दंडनीय अपराध बनाया जाए

शव के भी अधिकार, स्वार्थ के लिए न हो दुरुपयोग

मनीष गोधा, जयपुर

राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक अहम सिफारिश की है। आयोग ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि सड़क पर शव रखकर मांगें मनवाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाना आवश्यक है। आयोग के मुताबिक शव के भी कुछ अधिकार होते हैं और उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि किसी घटना के बाद आक्रोश में शव रखकर मांगें मनवाने की घटनाओं को रोकने के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की यह राय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब किसी घटना-दुर्घटना के बाद लोग शव मुआवजा, सरकारी नौकरी अथवा अन्य किसी मांग को लेकर यातायात ठप कर देते हैं।

जबरन दबाव बनाना गलत : राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने कहा कि शव का दुरुपयोग किए जाने, इसकी आड़ में आंदोलन कर अवैध रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस, अस्पताल और डॉक्टरों पर दबाव बनाकर धनराशि या अन्य कोई लाभ प्राप्त करना गलत है। ऐसी घटनाओं को आयोग शव का अपमान और उसके मानवाधिकारों का हनन मानता है। अयोग ने कहा है कि इसे रोकने के लिए आवश्यक नीति निर्धारण और विधि के प्रावधानों को मजबूत किया जाना जरूरी है। आयोग ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि संविधान के तहत सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार जीवित व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को भी प्राप्त है।

सम्मान सहित अंतिम संस्कार ही कर सकते

जस्टिस टाटिया ने अपने आदेश में कहा है कि मृत व्यक्ति के शरीर पर अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता। वह सिर्फ 'कस्टमरी लॉ' के तहत अंतिम संस्कार के लिए उसके शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। उसका बंटवारा, व्यापार या शरीर के अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा है कि विश्व के किसी भी धर्म के अनुसार शव का एकमात्र उपयोग उसका सम्मान सहित अंतिम संस्कार ही है।

जस्टिस प्रकाश टाटिया जागरण

आयोग ने कीं ये सिफारिशें

- दाह संस्कार में लगने वाले समय से अधिक तक शव को नहीं रखा जाए।
- परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कराए।
- यदि किसी अपराध की जांच के लिए शव की जरूरत नहीं है तो ऐसी स्थितियों में पुलिस को अंतिम संस्कार का अधिकार दिया जाए
- शव को अनावश्यक रूप से घर या किसी सार्वजनिक स्थान पर रखना दंडनीय अपराध घोषित हो।
- शव का किसी आंदोलन में उपयोग दंडनीय अपराध माना जाए

कश्मीर में आतंकियों ने जलाई सेब से भरी पेटियां

श्रीनगर : कश्मीर में आतंकियों ने सेब कारोबारियों को निशाना बनाने की अपनी साजिश को जारी रखते हुए उत्तरी कश्मीर की सोपोर मंडी में सेब से भरी पेटियों में आग लगा दी। दहशतगर्दों ने वहां मौजूद कुछ ट्रक चालकों को भी पीटा और उन्हें कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया। इसके बाद आतंकी भाग निकले। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। (पेज-6)

स्वदेश पहुंचे मेक्सिको से वापस भेजे गए 311 भारतीय

नई दिल्ली : मेक्सिको के जरिये अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश में पकड़े गए 300 से ज्यादा भारतीय शुक्रवार को स्वदेश लौट आए। इनमें एक महिला भी है। ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। एक उच्चाधिकारी ने यहां बताया, '311 भारतीयों को वापस भेजा गया है। मेक्सिको के 74 अधिकारी उन्हें यहां लेकर आए हैं।' भारतीयों को स्वदेश लौटने के लिए 36 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। (पेज-7)

वामपंथी सोच वाले हैं अभिजीत, उनकी स्कीम ठुकरा चुकी है जनता : पीयूष

- कांग्रेस ने लोस चुनाव के अपने घोषणापत्र में 'न्याय' योजना का किया था जिक्र

पुणे, प्रेट्र : रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर परोक्ष तौर पर हमला किया है। उन्होंने कहा, 'मैं अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिलने की बधाई देता हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उनकी सोच वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने 'न्याय' योजना बनाने में मदद की थी, लेकिन भारत की जनता ने उनकी सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

बता दें कि कांग्रेस ने अप्रैल में हुए लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र में 'न्याय' योजना का जिक्र किया था। इसके तहत देश के 20 फीसद सबसे गरीब लोगों को 72 हजार रुपये सालाना देने की बात कही गई थी। अभिजीत बनर्जी को मोदी सरकार के प्रमुख आलोचकों में भी माना जाता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और वर्तमान आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि हाल-फिलहाल इसमें कोई सुधार होने वाला है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी अर्थव्यवस्था में नुकसान की बात कही थी। अभिजीत को उनकी पत्नी के साथ नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार 'वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग' के लिए दिया गया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और माकपा ने इसे भाजपा की संकुचित मानसिकता का प्रतीक बताया है।

महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को पीयूष गोयल ने प्रेसवार्ता के दौरान अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी पर निशाना साधा। प्रेट्र